आयुक्त कार्यालय पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

(प्रमंडलीय गोपनीय प्रशाखा)

पत्रांक:........180........../सी0

प्रेषक:—

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक,
पूर्णियाँ / कटिहार / अररिया / किशनगंज।

पूर्णियाँ, दिनांक – 28/07/2022

विषय :— **मुहर्रम, 2022 के अवसर पर विधि व्यवस्था का संधारण एवं सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि इस वर्ष दिनांक 09.08.2022 को मुहर्रम मनाये जाने की संभावना है। इसके लिए जिला प्रशासन का पूर्ण दायित्व है कि पूर्व से इस संबंध में समीक्षा कर एहतियाति कार्रवाई (Preventive Action) सुनिश्चित कर ली जाय ताकि हर क्षेत्र में त्योहार के आनंद में हर वर्ग के लोग समान रूप से सहभागी हो सके। इन अवसरों पर असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं और विधि–व्यवस्था की समस्या को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि जिला प्रशासन द्वारा वैधिक प्रावधान के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इन तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाय। उक्त त्योहार के अवसर पर विधि–व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु संवेदनशील स्थानों की पहचान कर एहतियाती कार्रवाई के साथ–साथ दण्डाधिकारी तथा सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की जाय। यथा समय शांति समिति की बैठक कर इन्हें जिम्मेवारी सौंपी जाय तथा विधि–व्यवस्था संधारण में उनका सहयोग प्राप्त किया जाय ताकि पूर्ण–रूपेण शांति एवं सौहार्द कायम रहे। जिला प्रशासन को विधि–व्यवस्था संधारण हेतु निम्न बिन्दुओं पर समुचित व्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से कर लेने की आवश्यकता है :—

1. दण्डाधिकारी और आरक्षी बलों की प्रतिनियुक्ति एवं उनकी जिम्मेवारी।
2. संवेदनशील स्थानों की पहचान कर एहतियाती कार्रवाई।
3. आसूचना संग्रह कराने की व्यवस्था।
4. असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई।
5. शांति समिति का बैठक एवं गठन करना एवं उनके सदस्यों का मोबाईल नं0 सुरक्षित रखा जाए ताकि विषम परिस्थिति में इसका उपयोग किया जा सके ।
6. मुहर्रम जुलूस के लिए रूट चार्ट का निर्धारण तथा अनुज्ञप्ति निर्गमन की कार्रवाई ।
7. पूर्णकालीन पेट्रोलिंग, गस्ती एवं निगरानी की कार्रवाई।
8. नियंत्रण कक्ष का गठन, दूरभाष पर सुयोग्य कर्मचारी / पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो जिससे सूचना का आदान–प्रदान ठीक ढंग से हो सके।
9. अग्निशामक दस्ता की प्रतिनियुक्ति।
10. दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी / आरक्षी बलों की प्रतिनियुक्ति के साथ रिजर्व में रखा जाना।
11. रेलवे यातायात बाधित न हो इसपर नजर रखा जाना ।
12. जाम की स्थिति किसी भी हालत में न हो इसपर नजर रखा जाना ।

त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो तथा किसी भी स्थिति में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं एकता बनी रहे इसपर विशेष ध्यान देने की परम आवश्यकता है।

अतः प्रतिदिन खैरियत प्रतिवेदन गृह (विशेष) विभाग को भेजते हुए इसकी सूचना आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को भी दी जाय। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना यदि घटती है तो इसकी सूचना त्वरित गति से आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को अविलम्ब दी जाय। अपने जिला से संबंधित *संयुक्त विस्तृत प्रतिवेदन/संयुक्त आदेश* भेजना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

ह०-

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियॉ प्रमण्डल, पूर्णियॉ

ज्ञापांक/ 180 सी0, पूर्णियाँ, दिनांकः– 28/07/2022

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28/7/22

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियॉ प्रमण्डल, पूर्णियॉ।